॥

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा म0प्र0

श्री राजेन्द्र सिंह सिकरवार एड. रीवा द्वारा पेश। 28-8-14

28-8-14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रिव्यू 3361-III/14

रिव्यू 3361-III/14

514 / 28-8-14

सरंपच ग्राम पचायत पहडिया जपनद पंचायत रायपुर कर्चुलियान जिला रीवाम0प्र0

——— निगरानी पुर्नअबलोकनकर्ता

बनाम

1-- राजीव विकास परिसद रीवा द्वारा अध्यक्ष वालेन्द्र शुक्ला तनय श्री मुनि प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम रौरा तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

2-- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर रीवा , ——— अनावेदकगण

क्रमांक 3073 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ——— को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्न अबलोकन आवेदन पत्र आदेश दिनांक 04/08/2014 निगरानी प्रकरण क्र 3735/03/2013 का आदेश दिनांक 04/08/2014 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

पुर्न अवलोकन निगरानी के आधार निम्न है:--

1-- यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 आवेदक पुर्न अबलोकनकर्ता ग्राम पंचायत पहडिया जनपद पंचायत रायपुर कर्चु0 का निर्वाचित सरपंच है जो शासन के सम्पत्ति को सर्वजनिक उपयोग के अलावा व्यक्तिगत उपयोग में निहित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है।

2-- यह कि माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 04/08/2014 के पेज नं0 4 में स्थानीय निकाय को मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में प्राधिकृत संकल्प के सम्बन्ध में सरपंच, को प्रकरण को चलाने या अधिकारिता से वंचित किया जबकि उक्त निर्णय में महान कानूनी भूल इस बात की गई है कि सिर्फ संकल्प के सीमाकन करने कराने का औचित्य ही नही है जबकि वस्ताविकता यह है कि संकल्प एक पंचायत का अभिलेख है जिस समय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू-3361–तीने–2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सरपंच ग्राम पंचायत पहारिया / राजीव विकास परिषद	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–02–2016	यह रिव्यू प्रकरण निगनारी कमांक 3735 / तीन / 2013 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र त्रिपाठी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 12.01.16 को इस पुनर्विलोकन आवेदन को वापस लेने का निवेदन किया गया था। प्रकरण में आवेदिका श्रीमती बीना पाण्डेय स्वयं एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण को वापस लेने संबंधी आवेदन पर विचार करने एवं आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त करने का निवेदन किया गया। विचारोपरांत रिव्यू प्रकरण को वापस लेने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2016 स्वीकार किया जाकर प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	